

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद I.A.S.)

प्रकरण संख्या 32/2020

किस्म प्रकरण :- दावा अन्तर्गत घारा 88,89,53,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 05-01-2022

1. हरिचरनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर(राज0) -वादीगण

बनाम

1. रामचरन पुत्र किशनसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. रामेश्वर पुत्र शिवचरण जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3. ललिता पत्नि हरीचरन जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4. रामजीलाल पुत्र उम्मेद जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5. ओमप्रकाश पुत्र झण्डूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
6. कपिल दोहित्रा पुत्र गजपतसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
7. जगनसिंह पुत्र झण्डूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8. दीपिका दोहिती पुत्र झण्डूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
9. प्रदीप पुत्र श्रीमान जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
10. पूरनसिंह पुत्र श्रीमान जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
11. बच्चूसिंह पुत्र झंडूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
12. मुकेश चंद पुत्र झंडूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
- 12/1. मिथलेश पत्नि मुकेश चंद जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
- 12/2. हिमानी पुत्रीयान मुकेशचंद जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल निवासी प्लॉट नं0 252/2 सेक्टर 7ए गांधी नगर गुजरात
- 12/3. खुशाल पुत्र मुकेशचंद जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
13. मंजू देवी पुत्री झंडूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल नि0 एमएलए ग्राम छावडा वीवीपुर नानगल चौधरी महेन्द्रगढ
14. मुंदर देवी पत्नि झंडूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)हाल नि0 रामरूप तारो की कूट टोक रोड जयपुर
15. महेशचंद पुत्र झण्डूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल निवासी निर्माण नगर अरमेर रोड जयपुर मकान नं0 सी-252 जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर !



16. महावीर पुत्र निर्भयसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
17. मोहनसिंह पुत्र हरभान जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
18. राजवीर पुत्र निर्भय जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
19. रामा पुत्री झण्डूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल निवासी सांगानेर।
20. रीना दोहित्री झण्डू जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल 123 रूपनगर सेक्टर-3 हिरन मगरी उदयपुर राज.
21. लखनसिंह पुत्र हरभान जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
22. विमला पुत्री निर्भयसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
23. वीरीसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
24. श्रीनाथ पुत्र झण्डूसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल निवास 3/55 काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड उ.प्र.
25. स्तवीर पुत्र वृजनाथ जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
26. समन्दर पुत्री निर्भयसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल निवास गुलालपुर कोसी कलां जिला मथुरा उ.प्र.
27. सुरेश पुत्र निर्भयसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल गुलालपुर कोसी कलां जिला मथुरा उ.प्र.
28. सोमोती पत्नि वृजनाथ जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
29. हरीशचंद पुत्र श्रीभान जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
30. कशमीरा पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
31. गोपाल पुत्र उमेद जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
32. चन्द्रकला पत्नि मोनी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
33. देवेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
34. नीरज कुमारी पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
35. बलवीरसिंह पुत्र मौनी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
36. मनोज कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
37. मानसिंह पुत्र मौनी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
38. राजेन्द्रसिंह पुत्र मौनी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
39. लक्ष्मीदेवी पुत्र मौनी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल निवास सालाबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर राज.
40. श्रीचंद पुत्र उमेदी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
41. हरी पुत्र उमेदी जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
42. राधा पत्नि शिवचरनसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

उप ~~खण्ड~~ अधिकारी
नदबई भरतपुर

43. भगवती पत्नि शिवचरनसिंह जाति गुर्जर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
44. श्राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
45. सब रजिस्ट्रार नदबई
46. पंजाब नेशनल बैंक नदबई जरिये प्रबंधक
47. एस.बी.आई. शाखा नदबई जरिये प्रबंधक

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह मीना (वादीगण की और से)
श्री लक्ष्मणसिंह (प्रति की और से)

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.ए.
निर्णय

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. यह है कि खाता स. 508 के ख0न0 180 रकवा 0.49, 181 रकवा 0.51, 212 रकवा 0.45, खाता स. 514 के ख0न0 2026 रकवा 0.21, 2027 रकवा 0.30, 213 रकवा 0.47, 2396 रकवा 0.22, 2643 रकवा 0.11, 2644 रकवा 0.40, 2655 रकवा 0.23, खाता स. 120 के ख0न0 2648 रकवा 0.19, 2656 रकवा 0.23, 2657 रकवा 0.34, 2658 रकवा 0.46, खाता स. 515 के ख0न0 1586 रकवा 0.16, खाता स. 516 के ख0न0 2280 रकवा 0.05, 2283 रकवा 0.14, 2284 रकवा 0.05, 2309 रकवा 0.14, 2310 रकवा 0.14, 2311 रकवा 0.12, 2314 रकवा 0.12, 2327 रकवा 0.04, 2328 रकवा 0.13, 2330 रकवा 0.12, 2617 रकवा 0.25, 2618 रकवा 0.25, 2619 रकवा 0.26, 2620 रकवा 0.16, 2623 रकवा 0.17, 2645 रकवा 0.25, 2647 रकवा 0.34, 2649 रकवा 0.74, खाता स. 517 के ख0न0 2274 रकवा 0.20, 2275 रकवा 0.01, 2276 रकवा 0.09, 2277 रकवा 0.09, 2281 रकवा 0.07, 2282 रकवा 0.01, 2377 रकवा 0.14, 2378 रकवा 0.06, 2379 रकवा 0.19, 2380 रकवा 0.12, 2381 रकवा 0.13, 2382 रकवा 0.14, 2383 रकवा 0.17, 512 रकवा 1.93, व खाता स. 519 के ख0न0 1100 रकवा 0.28, 2336 रकवा 0.36, खाता स.520 के ख0न0 2744 रकवा 0.57, वाके ग्राम करीली व खाता स. 549 का आराजी ख0न0 118 रकवा 1.01 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है।
2. यह कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जे की आराजी है जिस पर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आराजी खसरा न. 1586 रकवा 0.16 है। खाता सं. 515 में आवासी निर्माण कर रखा है। इसके अलावा सभी प्रतिवादीगण वादी सहित हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
3. यह कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की व सहखातेदारी की भूमि है जिस पर सम्मिलित काश्त असंभव हो गया है, और आये दिन लगान जुर्ता बुवाई सिंचाई सुविधा आदि के ऊपर आपसी विवाद होता रहता है इसलिये मनवट के बजाय कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायहित बहुत आवश्यक है। जिससे झगड़े फसाद न हो सके।
4. यह कि विवादित आराजी में जब दावा फसल काटने गया तो प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं नुकसान ज्यादा व कहीं नुकसान कम ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आई और दिनांक 20.03.2020 को यह धमकी दी कि हम तेरी फसल को जबरदस्ती काटेंगे और ओलावृष्टि में मारे गये खेतों के तेरे हिस्से में छोड़ेंगे। ऐसा प्रतिवादीगण द्वारा करना व मौके के विपरीत है। इसलिये वादी के खिलाफ अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करते हुये तथा सिंचाई साधन बोरिंग कुआ आदि का विभाजन करते हुये नक्शा अक्स में विभाजन मुताबिक अलग-अलग खरा नम्बर बनाने हेतु तरमीम कराने के अधिकारी हैं। जिससे आपसी विवाद न हो सके तथा वादी खिलाफ

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर !

प्रतिवादीगण जरिये विभाजन डिक्री पाबंद करा पाने का हकदार है व मनवट के बजाय कानूनी बटवारा करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि दिये जाने धमकी दिनांक 20.03.2020 से प्रतिवादीगण द्वारा वादी के दिये जाने से पैदा होकर वादी को यह दावा पेश करना लाजिमी है।
6. अतः अंत में प्रार्थना की है कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम करीली व कस्बा नदबई प्रथम व अगनपुरा में हिस्से व कब्जे के मुताबिक अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कानूनी विभाजन मनवट कब्जा कुरेजात कायम कर खाता लगान अलग से कायम किये जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें मदाखलत मजामहत नहीं करें।
7. दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 47 को तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 42 व 43 एवं प्रतिवादी सं. 12 के वारिशन की ओर से अजीत सिंह एडवोकेट उपस्थित हुये तथा शेष प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं. 30 लगायत 41 की ओर से दिनांक 02.08.2021 को श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये।
8. वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संबत 2074 से 77 वाके ग्राम करीली व कस्बा नदबई प्रथम व अगनपुरा प्रदर्श-1 तहसील नदबई पेश की गई तथा मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र वादी हरिचरन जाति गूजर निवासी करीली पेश किये गये।
9. प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।
10. वादीगण के विद्वान वकीलों की बहस प्रारम्भिक सुनी गई। विद्वान वकीलों द्वारा अपने वादपत्र में तथ्यों को दोहराया गया तथा मुताबिक प्रार्थना अनुसार कुरेजात प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।
11. हमने विद्वान वकील की एकतरफा बहस सुनी गई व मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक बयानों को अवलोकन किया गया बाद अवलोकन दावा वादीगण मूल दावे के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर असल वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य की दर्ज आराजी अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का वाईम्यूट्स एण्ड वाउण्ड के आधार पर कुरेजात प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किये जाने हेतु लिखा गया।
12. तहसीलदार नदबई द्वारा कुरेजात दिनांक 28.09.2021 के प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक एलआर/21/2614 दिनांक 28.09.2021 द्वारा भिजवाये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।
13. तहसीलदार नदबई द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव पर प्रतिवादी की ओर से आपत्ति कुरेजात प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर बहस सुनी जाकर विवादित आराजीयात के विभाजन प्रस्ताव को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करते हुये तथा मौके व कब्जे अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये जाने पर पुनः न्यायालय द्वारा प्रस्तावित आराजी के विभाजन प्रस्ताव नये सिरे से तैयार करने हेतु पुनः तहसीलदार को स्वयं मौके की उपस्थिति में तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के पक्षकारानों को तलब करते हुये तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये तथा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये।
14. तहसीलदार नदबई द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.12.2021 को मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जे एवं काश्त अनुसार बनाये गये कुरेजात प्रस्ताव अपने पत्रांक क्रमांक एलआर/21/3515 दिनांक 23.12.2021 द्वारा भिजवाये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।
15. विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.12.2021 पर उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.12.2021 को तैयार किये गये हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की

उप खण्ड अधि.
नदबई भरतपुर

पालना करते हुये तथा मौके व कब्जे अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पक्षकारों को तलब कर मौके पर जाकर पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक तथा पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये गये हैं। जो कब्जे एवं काशत अनुसार तैयार किये गये हैं। उक्त कुरा रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर भी हैं। उभयपक्षकारान द्वारा उक्त कुरेजात प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई है तथा उक्त कुरा रिपोर्ट बाबत वादी एवं प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई ऊजर व आपत्ति पेश नहीं की गई एवं उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों द्वारा अपनी बहस में भी विभाजन प्रस्ताव जो तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 16.12.2021 को तैयार किये गये हैं के अनुसार डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति भी जाहिर की गई। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.12.2021 के अनुसार डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.12.2021 जो तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्रांक एलआर/21/3515 दिनांक 23.12.2021 द्वारा भिजवाये गये के अनुसार डिक्री किया जाता है रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक05.01.2022.....को लिखाया जाकर सरइजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मुहम्मद जुनैद)

उप खण्ड आई.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

नदबई (भरतपुर)